

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक :- प.14(2077)बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा./2020/4617-24

दिनांक:-21.12.2020

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति क्रमांक:एफ8(7)आ.प्र.एवंसहा./प्रस्ताव/बाढ़/2020/13726-32 दिनांक 03.11.2020 द्वारा सार्वजनिक विभाग खण्ड राजसमन्द की तहसील नाथद्वारा, खमनोर, देलवाडा के 28 कार्य हेतु राशि रु. 166.70 लाख व तहसील रेलमगरा के 10 कार्य हेतु राशि रु. 100.32 लाख एवं तहसील राजसमन्द के 15 कार्य हेतु राशि रु. 141.15 लाख रुपये की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था/विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें।
कार्यकारी विभाग - अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजसमन्द
(तहसील - नाथद्वारा, खमनोर, देलवाडा)

तहसील नाथद्वारा, खमनोर, देलवाडा

क्र.स.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(लाखों में) तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	फतेहपुर-कामा-खमनोर-मोलेला-कुठवा-फरारा-महादेव-राजसमन्द	12.96
2	नाथद्वारा पाखण्ड वाया कोठारिया	14.96
3	नाथद्वारा -केलवाडा	21.12
4	कडिया घोडा घाटी सड़क	14.08
5	गुंजोल सायों का खेडा गजपुर सड़क	23.76
6	परावल मचीन्द	12.32
7	देलवाडा-खेमली से जिला सीमा तक	4.20
8	नेगडिया से सोडावास	3.60
9	बडारडा से बामनहेडा	3.06
10	नमाणे से भाटोली वाया कुमारिया खेडा	1.20
11	करजिया घाटी से कोठारिया	2.40
12	करजिया घाटी से नान्दोडा धायला सड़क	3.60
13	नाथूवास से डिगेला सड़क	1.80
14	कोठारिया से जीवाखेडा-जेगला सड़क	3.90
15	गोडच से देलवाडा वाया बरवालिया श्याम जी का खेडा	3.60
16	काडो का गुंजा से राणावती की भागल वाया आयतों की धुणी सड़क	3.60
17	झालों की मदार से बाछेडा	3.00
18	नेडच से सैमल सड़क	2.40
19	खमनोर सलोदा सड़क	2.40
20	उथनोल से रामपुरिया सड़क	2.40
21	ढिडागड से मडका सड़क	2.52
22	उसरवास से उदावती की भागल	3.10
23	उसरवास से बडी बल्लों की भागल	2.50
24	टांकडा पुजावती की भागल	3.94
25	गोगुन्दा तुला मचीन्द बडा भाणुजा सड़क से नयाघर	3.36
26	गोडच से नवाखेडा	4.80
27	कुठवा से चच्छारडा	4.32
28	नेगडिया से गोरला वाया राती तलाई	1.80
	योग	166.70

(अक्षर रुपये एक करोड़ छियासठ लाख सत्तर हजार मात्र)

कार्यकारी विभाग - अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजसमन्द
(तहसील - रेलमगरा)

1	कैलवाडा ओलादर चौराया (राजसमन्द) से भादसोडा चौराया (चितोडगढ) वाया सापोल, मुण्डोल, राजनगर, रिक्को रोड, सोमनाथ चौराया, जेके सर्कल, रेलमगरा, गिलुण्ड, कपासन, शनिमहाराज	39.00
2	नाथद्वारा रेलमगरा रोड	12.60
3	पछमता से धनेरिया	10.80
4	पनोतिया जवासिया सडक	4.80
5	कूरज से पनोतिया वाया जितावास बैदुभ्य	12.60
6	कूरज से एस.एच. 12	2.52
7	कुवारिया से कूरज सडक	3.60
8	ओडा से बनेडिया सडक	4.20
9	बनेडिया खटूकडा चराणा जिला सीमा तक	5.40
10	रेलमगरा से टपरियाखेडी वाया जूणदा और जूणदा खेडी सडक	4.80
	योग	100.32

(अक्षरे रूपये एक करोड़ बत्तीस हजार मात्र)

कार्यकारी विभाग - अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजसमन्द
(तहसील - राजसमन्द)

1	फतेहपुर कामा खमनोर मोलेला कूंडवा फरारा महादेव राजसमन्द पीपरडा रोड	7.65
2	पसुन्द मादडी वाया तासोल	11.25
3	सम्पर्क सडक नोगामा से नमाना	3.00
4	करजिया घाटी से नान्दोडा धायला रोड	3.60
5	एस.एच. 12 से मोही वाया मोहन नगर प्रतापपुरा सडक	3.60
6	कैलवाडा ओलादर चौराया (राजसमन्द) से भादसोडा चौराया (चितोडगढ) वाया सापोल, मुण्डोल, राजनगर, रिक्को रोड, सोमनाथ चौराया, जेके सर्कल, रेलमगरा, गिलुण्ड, कपासन, शनिमहाराज	42.00
7	सांगठकला (राजसमन्द) से सहाडा गंगापुर (भीलवाडा) वाया साकरोदा, सुन्दरचा, धोईन्दा, टीवीएस चौराया, भावा, भाणा तासोल, खटामला, बिगोल, साकरोदा, सरदारगढ, कांगनी	24.00
8	गोगुन्दा तुला मचिन्द बडाभाणुजा गांवगुडा झालों की मदार सांयो का खेडा सांगठ राजसमन्द रोड	6.00
9	सम्पर्क सडक मजा	2.70
10	कांकरोली मोही पीपली आचार्यान रोड कि.मी. 9 से कशवनगर	3.15
11	कांकरोली मोही सडक	12.60
12	कांकरोली जेतपुरा रोड	8.40
13	फरारा साकरोदा सांगठ सडक	5.40
14	सम्पर्क सडक बोरज	3.90
15	दुर्गाकुण्ड से बामनटूकडा मेरडा खालसा रोड	3.90
	योग	141.15

(अक्षरे रूपये एक करोड़ इकतालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

शर्तें :

01. स्वीकृत राशि केवल इस वर्ष 2020 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों पर ही व्यय की जावें। एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 नोर्स के अनुसार तात्कालिक मरम्मत योग्य एवं इमिडियेट रेस्टोरेशन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सके।
02. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कि तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों की ही मरम्मत करवाई गई है।
03. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावें। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन की निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कार्य एवं व्यय सरकारी रिति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
04. वे सड़के जो **Defect Liability Period** के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी हैं, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावें।
05. कार्यकारी संस्था उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारिशिता अधिनियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एस0डी0 आर0 एफ0, /एन0डी0आर0एफ0, ग्रामीण कार्य निर्देशिका के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे हैं एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमीणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावें।
07. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है, तो उक्त सड़कों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावें।
8. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
9. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद से किया जायेगा -

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चकवात आदि।

106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।

(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)

(01) - (सड़कों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना)

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द

क्रमांक :- प.14(2077)बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा./2020/4617-24

दिनांक:- 21.12.2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें।
02. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमन्द
03. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजसमन्द
04. उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द/नाथद्वारा/रेलमगरा।
05. तहसीलदार, नाथद्वारा/खमनोर/देलवाड़ा/राजसमन्द/रेलमगरा।
06. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजसमन्द/रेलमगरा/खमनोर/देलवाड़ा।
07. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द

शर्तें :

01. स्वीकृत राशि केवल इस वर्ष 2020 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों पर ही व्यय की जावे। एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 नोर्स के अनुसार तात्कालिक मरम्मत योग्य एवं इमिडियेट रेस्टोरेशन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सके।
02. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, कि तत्काल प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों की ही मरम्मत करवाई गई है।
03. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन की निर्देशों के अनुरूप पुष्ठा व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कार्य एवं व्यय सरकारी रिति-नीति अन्तर्गत व्यापक जगह में है।
04. वे सड़कें जो **Defect Liability Period** के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेंसी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।
05. कार्यकारी संस्था उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारशिता अधिनियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एस0डी0 आर0 एफ0, /एन0डी0आर0एफ0, ग्रामीण कार्य निर्देशिका के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे है एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमीणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे।
07. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है, तो उक्त सड़कों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।
8. कार्यकारी एजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
9. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद से किया जायेगा -

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चक्रवात आदि।

106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना।

(08)- (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)

(01) - (सड़कों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना)

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

M

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द

क्रमांक :- प.14(2077)बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा./2020/4617-24

दिनांक:- 21.12.2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

01. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटित करवाने का श्रम करावे।
02. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमन्द
03. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड राजसमन्द
04. उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द/नाथद्वारा/रेलमगरा।
05. तहसीलदार, नाथद्वारा/खमनोर/देलवाड़ा/राजसमन्द/रेलमगरा।
06. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजसमन्द/रेलमगरा/खमनोर/देलवाड़ा।
07. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द

M

जिला कलक्टर
(आ0प्र0 एवं सहायता)
राजसमन्द